यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालसी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालसी, देहरादून के माह 05/2016 से 08/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.09.2018 से 22.09.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>-।

1). परिचयात्मकः इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संतोष गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भानुप्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 28.05.16 से 01.06.16 तक संपादित की गयी। जिसमे वर्ष 2005 से 04/2016 तक के अभिलेखो की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2016 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः संस्थान द्वारा विभिन्न रोजगारपरत व्यवसायो जैसे प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर आदि मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के उपरान्त रोजगार हेतु विभिन्न कम्पनियो मे प्लसमेंट कराया जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे देहरादून क्षेत्र शामिल है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
		स्थापना	**गैर-स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
1	**2016-17**	**0.00**	**0.00**	**88.68**	**82.50**	**31.21**	**28.40**	**-**	**8.99**
2	**2017-18**	**0.00**	**0.00**	**99.12**	**85.25**	**91.49**	**84.30**	**-**	**21.06**
3	**2018-19**	**0.00**	**0.00**	**106.51**	**51.66**	**6.70**	**4.53**	**-**	**--**

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक आवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्ति(आवंटन)**	**विविध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)**	**कुल प्राप्ति**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालसी, देहरादून

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 05.2016 से 08.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालसी, देहरादून** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालसी, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10.2016 एवं 06.2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग - 2 'ब'</u>

प्रस्तर:1- गाइड लाइंस का मानदंड बिना सुनिश्चित किए बिना योजना की राशि रु 2.50 करोड़ प्राप्त कर 10 वर्षो से अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण पाया जाना।

कार्यालय प्रधानाचार्य, आईटीआई , कालसी की अभिलेखों की जांच मेँ पाया गया कि उक्त आईटीआई के अंतर्गत संचालित केंद्र सरकार की पीपीपी मोड योजना के माध्यम से उच्चीकरण के अंतर्गत गठित इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी (आईएमसी) को वित्तीय अधिकार प्रदत करते हुये आईटीआई, कालसी का चयन किया गया। गाइडलाइंस मेँ वर्णित तथ्यों से दो मुख्य बातें प्रकाश मेँ आई:-

1.The released amount is utilized by the IMCs for upgradation of their ITIs and the courses in the upgraded facilities are started from the academic session commencing next to the financial year in which the loan is released.

2.Upgradation of all retained units by provisioning relevant infrastructure and training facilities. अर्थात पीपीपी मोड स्कीम उन ITIs के लिए थी, जो पूर्व में संचालित थे तथा योजना के तहत उच्चीकरण के माध्यम से पूर्व में चल रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण को स्थानीय मांग के अनुसार सुदृढ़ बनाकर रोजगारपरक बनाया जाना था। परंतु आईटीआई, कालसी के चयन के समय संस्थान का अपना भवन मौजूद नहीं था । उच्चीकरण हेतु संस्थान द्वारा धनराशि रु 2.50 करोड़ वर्ष 2008 मे भारत सरकार से प्राप्त की गयी परंतु 10 वर्षो की पर्याप्त समयावधि बीत जाने के बाद भी अपना भवन तैयार नहीं होने के कारण किसी भी व्यवसाय का उच्चीकरण तथा रोजगारपरक बनाया जाना नही पाया गया तथा योजना की लगभग समस्त राशि अप्रयुक्त पड़ी हुई पायी गयी। योजना के प्रति घोर उदासीनता इस कारण से भी प्रकाश मे आई कि आईएमसी की वर्तमान तथा पूर्व में हुई बैठक के बीच 05 वर्ष का अंतराल पाया गया। आगे पाया गया कि जिस प्रयोजन के लिए आईएमसी को फ़ंड जारी किया गया उससे इतर फ़ंड से रु 8.28 लाख का आहरण बिना उच्चीकरण किए नियमित संचालित व्यवसाय पर व्यय कर दिया गया।

इस और इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि स्वयं का भवन निर्माणाधीन है, भवन पूर्ण होने पर उच्चीकरण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं, दिशानिर्देश मे धन प्राप्ति के अगले वित्तीय वर्ष तक राशि प्रयुक्त करने का उल्लेख पाया गया, परंतु भवन निर्माण मे विलम्बता के संबंध मे भारत सरकार से समयवृद्धि विषयक अभिलेख अनुपलब्ध पाया जाना तथा धनराशि समय से प्राप्त होने के बावजूद भवन निर्माण मे तत्परता न होने के कारण 10 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी विफल रहने के फलस्वरूप प्रयोजन का नुकसान हुआ तथा लाभार्थी समय से लाभ लेने मे वंचित रहे।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
22/2016-17	शून्य	01,02,03	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभियुक्ति
	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN			
22/2016-17	-	01,02,03	-	-	-	-

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालसी, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री अनिल कुमार त्रिपाठी	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ कालसी, देहरादून	05/2016 से 16.07.2017 तक
श्री अनिल सिंह	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ कालसी, देहरादून	17.07.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालसी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.